

न्यायालय जिला कलक्टर, झुझुनू

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 29/2026

श्री लक्ष्मीनारायण सैनी, निवासी प्लाट नं० 26 डी, टी-ब्लॉक, नारायण विहार, मानसरोवर, जिला जयपुर,
पिन कोड 302020, मो० नं० 8005977036

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 25.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 29/2026 पर दिनांक 27.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/ 263-264 दिनांक 27.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2026/45 दिनांक 05.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण सैनी, प्लाट नं० 26 डी, टी-ब्लॉक, नारायण विहार, श्रंगारपुरा बालाजी मंदिर के पास, मानसरोवर, जिला जयपुर, पिन कोड 302020 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक आरटरआई/2026/35 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2026/45 दिनांक 05.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण सैनी, प्लाट नं० 26 डी, टी-ब्लॉक, नारायण विहार, श्रंगारपुरा बालाजी मंदिर के पास, मानसरोवर, जिला जयपुर, पिन कोड 302020 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक आरटरआई/2026/35 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुझुनू